फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भगवतीलाल वनाम विपक्षी : श्री गणेशलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या : 54/24

कार्यवाही विवरण

दिनाक : 08.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 4, 6, 7, 11 उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 4, 6, 7, 11 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 13 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में अंकित होकर संयुक्त अधिपत्य में चला आ रहा है परन्तु परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा मौखिक बटवाडा विभाजन कर सभी पक्षकारों के मध्य प्रार्थना पत्र की कलम न. 2, 3 व 4 में वर्णित भूमि को उनके हिस्से अनुसार बंटवाडा कर दिया गया था तभी से प्रार्थीगण और विपक्षीगण उक्त भूमि पर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अपनी अपनी सुविधानुसार काश्त करते और भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है मात्र राजस्व रेकर्ड में कानूनन बंटवाडा नहीं होने से प्रार्थना पत्र में वर्णित कलम न. 2, 3, 4 में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में अंकित हैं। परन्तु सामलाती खाता होने से प्रार्थीगण अपने रेकर्ड अनुसार हिस्से की समस्त भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है क्योंकि विपक्षीगण आये दिन लडाई झगडा करते हुए प्रार्थीगण को तंग व परेशान करते हुए कभी घास काट कर ले जाते तो कभी प्रार्थी की फसल को नुकसान पहुचाते है तो कभी प्रार्थी के हिस्से कब्जे कि भूमि में लगे पेड पौधो को नुकसान पहुचाते है तथा प्रार्थी को शांती पूर्वक कृषि कार्य करने में बाधा पैदा करते है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा कथन कहा गया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में बाधा उत्पन्न की जा रही हैं जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी को पावन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि [illegible] हींता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत [illegible] की खाता संख्या नया 683 की आराजी नम्बर 3117, 3118, 3120, 3121 [illegible] खाता संख्या नया 342 की आराजी संख्या 2915, 2916 कुल [illegible] 2 रकवा [illegible]600 हैक्टयर भूमि व खाता संख्या नया 678 की आराजी संख्या 2718 से 2734, 2736 से 2739, 2742 से 2751, [illegible] से 2760, 2909, 2912, 2913, 2918, 2924, 2925, 2926, 2929 से 29[illegible] 2935 से 2949, 864[illegible] किता 66 रकवा 8.3800 हैक्टयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:19:24 IST
Reason: SelfAttested